

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ...B/618...../ जबलपुर, दिनांक 20/01/2022

II-14-126/21

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्व. श्री कमल राठौर, सेक्रेटरी टू द जज, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की मृत्यु दिनांक 20/11/2021 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 214 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान मृतक की पत्नि श्रीमती तृप्ता राठौर पति स्व. श्री कमल राठौर, सेक्रेटरी टू द जज, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही / -

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक...B/619...../ जबलपुर, दिनांक 20/01/2022

II-14-126/21

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/2498/लेखा/2021 इन्दौर, दिनांक 13/12/2021 के संदर्भ में स्वर्गीय श्री कमल राठौर, सेक्रेटरी टू द जज, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का अवकाश लेखा मूलतः, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं Form-E Nomination For Family Pension ~~कार्य~~ करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)